शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

प्रति,
मा. प्राचार्य/संचालक,
सर्व संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त संस्था,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

महोदय/महोदया,

उच्चतर शिक्षणसंस्थामध्ये जातीय भेदभावाचे निराकरण करणेबाबतचे, प्रा. रजनीश जैन, सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, बहादूरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली यांचे अ.श.पत्र संख्या एफ.१-७/२०११ (एससीटी) दि. २६ जून, २०१९ रोजीचे सोबतचे पत्र माहितीसाठी व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी जोडले आहे. त्याअनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल १० दिवसामध्ये या कार्यालयास कळवावा.

कळावे,

आदेशान्वये

सोबत - वरीलप्रमाणे.

(श्री. व्ही. एस. सोयम)
उपकुलसचिव

संदर्भ क्र. संलग्नता/टी-२/ No 346
दि. 5 JUL 2019

d:\2019\mangutkar\circular.docx

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अ0शा0 पत्र संख्या एफ.1–7/2011 (एससीटी)

दिनांक: 26 जून, 2019

विषय: उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निराकरण

आदरणीय महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत कार्यवाही करने के उद्देश्य से दिनांक 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.09.2016,15.05.2017 तथा 04.06.2018 के पत्र जारी किए हैं:

- अधिकारी/संकाय सदस्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विरूद्ध उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधारपर किसी भेदभाव पूर्ण कृत्य से बचना चाहिए।
- विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी बेवसाइट पर एक पेज विकसित कर सकते हैं साथ ही वे कुल सचिव/प्राचार्य के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक शिकायत रजिस्टर भी रख सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना प्राधिकरणों के ध्यान में आती है तो चूककर्ता अधिकारी/संकाय सदस्य के विरूद्ध तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी भी समुदाय अथवा श्रेणी के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नही करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों/शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों से प्राप्त भेदभाव संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अधिकारी/संकाय सदस्य को जातिगत भेदभाव की घटनाओं के मामलों पर कार्यवाही करते हुए अधिक संवेदनशील रहने का परामर्श दें और **कृत कार्यवाही रिपोर्ट को विहित प्रारूप (प्रति संलग्न है) 30 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजें** साथ ही sctsection@gmail.com पर ई–मेल भी करें।

उपयुक्त अनुदेशों को आपके विश्वविद्यालय के सभी संघटक तथा संबंद्ध महाविद्यालयों को भी अनुवर्ती कार्यवाही के लिए परिचालित किया जाए।

सादर

भवदीय,
रजनीश
(रजनीश जैन)

संलग्न: यथोपरि

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के निराकरण के लिए कृत कार्यवाही रिपोर्ट

विश्वविद्यालय/ संस्थान का नामः

क्रम संख्या	मद	कृत कार्यवाही		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	क्या विश्वविद्यालय/ संस्थान ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों/ शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों से प्राप्त भेदभाव संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए किसी समिति का गठन किया है?			
2.	क्या विश्वविद्यालय/ संस्थान ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी बेवसाइट पर एक पेज विकसित किया है? कृपया यूआरएल तथा तत्संबंधी ब्योरा दें।			
3.	क्या विश्वविद्यालय/ संस्थान एक शिकायत रजिस्टर का रखरखाव कर रहे हैं? और प्राप्त जातिगत आधारित भेदभाव की शिकायतों पर किस प्रकार कार्यवाही की गई?			
	(i) पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या			
	(ii) कुल प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतें सुलझाई गई/ निपटाई गई?			
	(iii) क्या शिकायत में किसी आत्महत्या जैसी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हुई (संख्या)			
	(iv) घटना के प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर अधिकारी/ संकाय के विरूद्ध की गई कार्रवाई			
4.	क्या विश्वविद्यालय/ संस्थान में संघटक तथा संबंद्ध महाविद्यालयों से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के विरूद्ध भेदभाव की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए कोई प्रकोष्ठ है?			
	(i) महाविद्यालय की समस्याओं का समाधान करने की पद्धति			
	(ii) प्राप्त हुई कुल शिकायतों तथा सुलझाए गए मामलों की संख्या			
	(iii) जातिगत भेदभाव के विरूद्ध महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदेशों का स्वरूप			

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

D.O.No.F.1-7/2011(SCT) 26th June, 2019

Sub: Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Education Institutions –reg.

Respected Madam/Sir,

As you are aware, the University Grants Commission is continuously monitoring the Prevention of Caste based discrimination in Higher Educational Institutions. Further, the University Grants Commission has issued letters dated 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.09.2016,15.05.2017 and 04.06.2018 requesting you to take the following action:

- The officials/faculty members should desist from any act of discrimination against SC/ST students on grounds of their social origin.
- The University/Institute/College **may develop a page on their website for lodging such complaints of caste discrimination by SC/ST students** and also place a complaint register in the Registrar's/Principal's Office for the purpose. If any such incident comes to the notice of the authorities, action should be taken against the erring official/faculty members promptly.
- The University and Colleges should ensure that no official/faculty members indulge in any kind of discrimination against any community or category of students.
- The University may constitute a committee to look into the discrimination complaints received from the SC/ST/OBC Students/Teachers and non-teaching staff.

You are also requested to advise the officials/faculty members of your university/Institute to be more sensitive while dealing with incidents of caste discrimination and **send Action Taken Report to UGC within 30 days** in the prescribed format (copy enclosed) and also on the email: sctsection@gmail.com.

The above instructions may also be circulated to all the constituent and affiliated colleges of your University for follow-up action please.

With kind regards,

Yours faithfully,

Rajnish

(Rajnish Jain)

Encl: As above.

The Vice-Chancellor of all Universities.

Action Taken Report of Universities/Institutions to prevent caste based discrimination

Name of the University/Institution:

Sl. No.	Item	Action Taken SC	ST	OBC
1	Whether the University/Institution has constituted any Committee to look into the complaints of discrimination received from SC/ST/OBC students/teachers/non-teaching staff, give details thereof.			
2	Whether the University/Institution has developed a page on its website for lodging complaints of caste based discrimination by SC/ST/OBC students. Give URL and details thereof.			
3	Whether the University/Institution is maintaining the Complaint Register and the mode of action taken on the complaint of caste based discrimination.			
	(i) Number complaints received during the last one year.			
	(ii) Out of the total complaints received number of complaints settled/solved.			
	(iii) Whether any suicidal type of action reported in the complaints (number).			
	(iv) Action taken in case incident comes to the notice of the authority against official/faculty.			
4	Whether the University/Institution has any Cell to look into the complaints of discrimination against SC/ST/OBC received from the affiliated /constituent college.			
	(i) Mode of solving the College problems			
	(ii) Number of complaints received and solved			
	(iii) Type of instructions issued to the College against caste discrimination			